Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3695/तीन/2015 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
16-11-15	यह निगरानी तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 454/2013-14 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 03-06-2014 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदिका के अभिभाषक के तर्क सुने एंव प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदिका के अभिभाषक ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिये विवरण पर बताया कि आवेदिका के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जिसके कारण जानकारी के दिन से एंव तहसीलदार के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने के दिन से निगरानी समयावधि में है। तहसीलदार के आदेश दि. 3-6-14 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आवेदिका को सुनवाई के लिये सूचना पत्र भी जारी नहीं किया है, जिसके कारण अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। 3/ तहसीलदार करैरा के आदेश दि. 3-6-2014 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदिका का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर कम्प्यूराईज्ड खसरे में भूमि	

सर्वे क्रमांक 556 मिन रकवा 0.17 हैक्टर पर दर्ज था, जिसे तहसीलदार ने आदेश दिनांक 3-6-14 से प्रविष्टि को सँशोधित कर भूमि शासकीय दर्ज की है, किन्तु प्रविष्टि मात्र पटवारी रिपोर्ट पर से सँशोधित की गई है तथा आवेदिका को सुनवाई का अथवा बचाव प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है। तहसीलदार करैरा ने आवेदिका का नाम शासकीय अभिलेख से काटने के पूर्व सुनवाई हेतु किसी प्रकार का सूचना पत्र भी नहीं भेजा है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का विपरीत है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण क्रमांक 454/2013-14 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 03-06-2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार करैरा यदि आवश्यक हो तो नायव तहसीलदार के प्र0क्र0 88/89-90 अ 19 आदेश दिनांक 27-9-1990 को खोजकर प्रकरण में संलग्न करते हुये तथा आवेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

सदस्य

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 निगरानी नि/3695/III-15

श्री ....
द्वारा आज दि. 16/11/15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विधादेवी पुंत्री श्री राजधर सिंह लोधी जाति लोधी निवासी ग्राम कलोथरा अब्बल, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

------आवेदिका

बनाम

पटवारी ग्राम कलोथरा अब्बल, परगना करैरा, जिला शिवपुरी, द्वारा – म. प्र. शासन

------अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा–50(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय परगना करैरा, जिला शिवपुरी के प्र0क0 454/2013–14/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 3.6.2014 से परिवेदित होकर।

. एस. चौहान
एडवोकेट
ईकोर्ट म.प्र. ग्वा.